Copy of Cicular letters No. 7686-G-58/19409, dated the 30th June, 1958 from the Additional Chief Secretary to the Government, Punjab, to all Heads of Departments etc. etc.

Subject :—**Use of Government servants for Private work.**

I am directed to invite your attention to the instructions contained in Punjab Government's circular letter No. 4540-GII-57/12538, dated the 15th July, 1957, on the above subject, and to say that cases are still being reported to Government regarding the misuse of Class IV Government servants, for private work during office hours or when they are actually supposed to be on duty elsewhere and are shown as such in the relevant record. In two such cases which came to the notice recently, the officers concerned have been warned, and copies of the warning issued to them have been placed on their personal files. A lenient view was taken in these cases as these were first to be reported, after the issue of iustructions cantained in the above-mentioned letter. I am desired to say that a more serious view will be taken in cases involving contravention of these instructions, and to reiterate that use of Government servants as regular wholetime domestic servants will, in future, be treated as dihonesty meriting the severest punishment.

2. I am to request you to being these instructions to the notice of all concerned serving under you.

वित्तायुक्त राजस्व/हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव को सूचना तथा एसी ही कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की ओर से सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला मण्डल हरियाणा के सभी उपायुक्त तथा सभी उपमण्डल अधिकारी को लिखे पत्र क्रमांक 287-I जी0 एस0-I-72/3104 दिनांक 8 फरवरी, 1972 की प्रति ।

विषय :—प्राईवेट कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों का प्रयोग ।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं संयुक्त पंजाब सरकार के पत्र 4540-जी-II57/12538, दिनांक 15 जुलाई, 1957 (प्रति संलग्न है) द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर आपका ध्यान दिलाऊं जिसमें अधिकारियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों से प्राईवेट कार्य लेने के सम्बन्ध में सरकार की नीति को स्पष्ट किया गया था । उस पत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात पर बल दिया गया था कि प्राईवेट कार्य के लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रयोग में लाए जाने के मामलों को गम्भीर दृष्टि से देखा जाए और जब कभी भी Dishonest conductका कोई तथ्य पाया जाए, तब पदच्युति (डिसमिसल) का अधिकतम दण्ड दिये जाने के बारे में भी विचार कर लिया जाए। संयुक्त पंजाब में पत्र क्रमांक पी0 ओ0 एल0-50(3)-61/26382, दिनांक 25 नवम्बर, 1961 द्वारा पुनः अनुरोध किया गया था कि दिनांक 15 जुलाई, 1957 के पत्र में दी गई हिदायतों का कठोरता से पालन किया जाए ।

2. यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि उपर्युक्त हिदायतों का सभी सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा अनुसरण नहीं किया जा रहा है तथा अब भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कुछ अधिकारियों द्वारा वर्ग चार (iv) के सरकारी कर्मचारियों को प्राईवेट कार्य पर लगाया जाता है । इस बात का पुनः उल्लेख किया जाता है कि सरकार इस मामले को गम्भीरता की दृष्टि से देखती है तथा चाहती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यह प्रथा सभी केसों में, बिना किसी उपवाद के समाप्त कर दी गई है । अतः मैं अनुरोध करूंगा कि आप उपर्युक्त हिदायतों को उनका कठोरता से पालन किये जाने के लिये, अपने अधीनस्थ सभी सरकारी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं तथा उन्हें यह स्पष्ट कर दिया जाए, कि इस विषय में कोई चूक होने पर वे कठोर अनुशासनिक कार्यवाही के भागी होंगे ।